कोटपूतली में कलक्टर ने जनसुनवाई प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए

■ जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों, सरकारी भूमि संरक्षण एवं पोर्टल अपडेट की प्रगति पर की विस्तृत समीक्षा

जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने बुधवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

कोटपूतली(निसं)। जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता ने बुधवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व प्रशासन से जुडे विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा प्रत्येक अधिकारी मिशन मोड में कार्य करते हुए जनहित से जुडे मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे।

बैठक में जिला कलक्टर ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, नामांतरण, सीमांकन, रास्ता, विरासत, पत्थरगढ़ी, संपरिवर्तन प्रकरणों तथा जनसुनवाई से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि राजकीय भूमि, मंदिर भूमि एवं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए और नियमित मॉनिटरिंग के साथ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने संपर्क पोर्टल एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रकरणों का संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही निस्तारित परिवादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परिवादियों से रेंडम आधार पर व्यक्तिगत संपर्क कर फीडबैक लेने पर भी जोर दिया।

जिला कलक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व कार्यों की नियमित निगरानी करें तथा लंबित मामलों को स्थानीय स्तर पर ही प्राथमिकता से निपटाने का प्रयास करें, जिससे आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। उन्होंने ई-डाक के माध्यम से पत्राचार को बढ़ावा देने तथा विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों पर अद्यतन जानकारी समय पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए। सरकारी भूमि संरक्षण एवं पोर्टल मॉनिटरिंग पर विशेष जोर: बैठक में भूमि अवाप्ति, गैर खातेदारी, 90 ए, आरओडब्ल्यू पोर्टल, लंबित नामांतरण, सीपी ग्राम पोर्टल, शहरी विकास, कानून एवं व्यवस्था, अवैध खनन की मॉनिटरिंग, मासिक सारांश रिपोर्ट, न्यायालयों में लंबित प्रकरण, एलआर/पीडीआर एक्ट, जीएलएमएसी, जीसीएमएस पोर्टल, सड़क सुरक्षा, गिरदावरी, राजस्व वसूली एवं सहायता प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने अधीनस्थ कार्यालयों के नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुदृढ बनाए रखने तथा एलआर सेक्शन से समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालय एवं लाइट्स पोर्टल पर लंबित वादों की समीक्षा करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन एवं अन्य लंबित प्रकरणों पर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने कार्यक्रम स्थलों पर चिकित्सा, पेयजल, एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योग संगम पोर्टल पर कार्यक्रमों की जानकारी 15 जून तक अपलोड कर अधिकाधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही आगामी दिनों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के संबंध में पारदर्शिता, सुरक्षा एवं परीक्षा केंद्रों पर चिकित्सा, बिजली एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

'महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति रहे जागरूक'

निवाई(निसं)। पंचायत समिति सभागार में नारी चौपाल के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा, उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राठौड़, तहसीलदार नरेश गुर्जर, विकास अधिकारी नंदकिशोर शर्मा व अधिशाषी अधिकारी मनोहरलाल जाट ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य अतिथि विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना है।

उन्होंने महिलाओं को लखपति दीदी योजना के बारे में भी विस्तृत से जानकारी दी। विधायक ने राजीविका सदस्यों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है। जिसमें महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अपने अधिकारों के बारे में लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत के गांव-गांव ढाणी-ढाणी की महिलाओं को योजनाओं के बारे में जानकारी देकर योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को सरलता से ऋण उपलब्ध होता है। वर्तमान समय में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रही है। गर्भवती महिलाओं को बालिका के जन्म से लेकर शिक्षित होने तक लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को आरक्षण भी दिया।

आम सूचना:-हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या फर्म विधि जैम्स एण्ड ज्वेल्स जरिये प्रोपराईटर श्री ममता हल्दिया एवं रवि हल्दिया पुत्र स्व. सूरज नारायण हल्दिया, निवासीगण फ्लेट नं. 101, केशव पर्ल पलासिया अपार्टमेन्ट, 31, तख्तेशाही रोड, जयपुर द्वारा मेरी अभिभाष्या फर्म की प्रोपराईटर के पति रवि हल्दिया ने जितेन्द्र जैन व स्वीटी जैन के स्वामित्व की दुकान 36, 37, सेक्टर-6, जोन-64, योजना प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर जिसका संयुक्त कुल क्षेत्रफल 27.00 वर्गमीटर है, को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांकित 31.10.2023 को क्रय कर लिया है। मेरी अभिभाष्या फर्म बैंक में, अपने पति के स्वामित्व की उपरोक्तवर्णित अचल सम्पत्ति को बतौर संयुक्त ऋणी दी बैंक ऑफ नैनिताल बैंक शाखा शास्त्री नगर, जयपुर में बंधक रख वित्तीय सुविधा प्राप्त कर रहा है। यदि किसी भी व्यक्तिया संस्था को रवि हल्दिया की सम्पत्ति को बंधक रख वित्तीय सुविधा प्राप्त करने बाबत कोई उज्ज, आपत्ति या एतराज या कोई वाद विवाद है तो 3 दिवस में सूचित करे। अन्यथा 3 दिवस पश्चात कोई उज्ज, आपत्ति शून्य एवं निष्प्रभावी मानी जावेगी।

एडवोकेट (योगेन्द्र शर्मा) मो. 9414073565

खोया पाया

मेरा फ्लेट नं. 29/एच-74, गोदावरी अपार्टमेन्ट प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर संपर्क करें- राजेश कुमार-9024964918

मेरा मकान सं. 265/256 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल भौतिक कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- वर्षा बिटलानी-7226975162

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री रिया मिश्रा के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम श्याम मिश्रा की जगह श्याम बाबू मिश्रा के नाम से जाना पहचाना जावेगा। निवासी गोरधनपुरा, तहसील टहला, अलवर-301410

मेरी पुत्री रिया मिश्रा के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मंजू मिश्रा की जगह मंजू देवी के नाम से जाना पहचाना जावेगा। निवासी गोरधनपुरा, तहसील टहला, अलवर-301410

मैंने अपना नाम रामअवतार जाट (Ramavtar Jat) से बदलकर रामअवतार चौधरी (Ramavtar Choudhary) पुत्र श्री प्रभु नारायण चचौधरी रख लिया है। रामअवतार जाट एवं रामअवतार चौधरी दोनों मेरे ही नाम है निवासी 1/236 SFS अग्रवाल फार्म, नियर ICG कॉलेज, मानसरोवर जयपुर। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान
महेन्द्र बनाम अशोक वगैरह
मु.नं. 217 सन् 2022
T.I. No. 214/22

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा T.I. बनाम अनोप पत्नि स्व. लीलाराम, साक्षी, मिनाक्षी, पूजा, विशाखा, हिमटिम, मानवी पुत्रीयान स्व. लीलाराम, नीरज पुत्र स्व. लीलाराम, मगना राम पुत्र मोहन लाल, मीरा पुत्री मोहन लाल, संतोष पुत्री मोहन लाल, बल्ला पुत्री मोहन लाल जाति मीणा निवासीयान पाथरेडी तहसील पावटा, ओमसिंह पुत्र मंगेज सिंह, कानसिंह पुत्र मंगेज सिंह, महेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह माता स्व. प्रेम कँवर पुत्र मंगेज सिंह, संतोष माता स्व. प्रेम कँवर पुत्र मंगेज सिंह, गुलाव कँवर पुत्री सांग सिंह, मगन कँवर पुत्री सांग सिंह, मान कँवर पुत्री सांग सिंह, सुप्यार पत्नि रामसिंह पुत्र सांग सिंह, अंजू, मंजू, पुत्रीयान रामसिंह पुत्र स्व. सांग सिंह, रतन सिंह पुत्र रामसिंह पुत्र स्व. सांग सिंह, श्री कँवर पुत्री सांग सिंह, सोहन कँवर पुत्री सांग सिंह जाति राजपूत निवासीयान पाथरेडी तहसील पावटा फूली पत्नि जयराम, मूर्ती, चिड़िया, कृष्णा पुत्रीयान स्व. जयराम, रामशरण, मानसिंह पुत्रान स्व. जयराम, रामकुवार पुत्र प्रभाता जाति गुर्जर निवासीयान पाथरेडी तहसील पावटा, निशांत सिंह पुत्र प्रतापसिंह, प्रतिभा पुत्र प्रताप सिंह, शोभा कंवर पत्नि प्रताप सिंह, भवानी सिंह पुत्र रोहताश सिंह, मंजू कंवर पुत्री रोहताश सिंह, विरेन्द्र पुत्र रोहताश सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीयान पाथरेडी तहसील पावटा, गणपत पुत्र बल्ला, गोठी पत्नि बल्ला, गणपत, बनवारी, राजेन्द्र, अर्जुन पुत्रान प्रहलाद, फूली देवी, रामकला, मिश्री, भरपाई, सन्तोष पुत्रीयान प्रहलाद, प्रेम पत्नि जगदीश, सुनिल पुत्र जगदीश सुरेन्द्र, सुनिल माता राजवाला पुत्री स्व. प्रहलाद, बनवारी पुत्र बल्ला, रामेश्वर पुत्र बल्ला समस्त जाति अहीर निवासीयान गोरधनपुरा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली वहरोड राजस्थान वादी ने आपके विरुद्ध वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 18.06.2026 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 08 माह 06 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

नाबालिग बेटे ने पिता की गला काटकर हत्या की

अलवर(निसं)। 17 साल के बेटे ने गंडासे (लकड़ी काटने वाला धारदार हथियार) से अपने पिता की गला काटकर हत्या कर दी। उसने एक के बाद एक 6 वार किए। मौके पर ही पिता ने दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग बेटे ने अपने मामा को फोन कर कहा- घर जाकर पापा को बचा लो। पुलिस ने बेटे को डिटेन कर लिया है। यह मामला अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र का है।

बेटे ने पिता पर हमला उस समय किया, जह वह गहरी नींद में थे। पुलिस की मानें तो शुरुआती पूछताछ में उसने हत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं किया है। लडक़े की मां अपने भाई की शादी में पीहर गई थी। घर पर सिर्फ पिता और बेटा थे। 7 जून को साले की शादी थी। पूरा परिवार शादी समारोह में गया था। 8 जून को बेटा और पिता अलवर लौट आाए थे। पुलिस की मानें तो पिता शराब का आदी था। वह ई-रिक्शा चलाता था। हत्या करने के बाद घबराए या गुमराह करने के लिए नाबालिग ने पास ही मौजूद अपने मामा को फोन कर पिता को बचाने की गुहार लगाई।

अरावली विहार थाने के एसएचओ रामेश्वर दयाल ने बताया- मंगलवार रात करीब 10 बजे पुलिस को इस घटना की सूचना मिली थी। पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, तो कमरे का नजारा देखकर सन्न रह गए। बिस्तर पर लहूलुहान शव पड़ा था। उसका गला बुरी तरह कटा हुआ था। पुलिस ने तुरंत शव को जिला अस्पताल की मॉच्र्युरी में रखवाया, जहां बुधवार सुबह पोस्टमॉर्टम किया गया। मामा ने पुलिस को बताया- भांजे का फोन आया कि मामा घर जाओ और पापा को बचा लो। मैं जब भागकर वहां पहुंचा, तो जीजाजी खून से सने पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं।

डेढ़ किलो डोडा पोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार

लालसोट(निसं)। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लालसोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.525 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ बरामद कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

किशनगढ़ बास उपकारागृह में विधिक सेवा प्राधिकरण ने जागरूकता शिविर लगाया

कैदियों के अधिकारों पर जेल में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित कर जानकारी देते पीएलवी।

किशनगढ़ बास (निसं)। उपकारागृह में लगे विधिक जागरूकता शिविर में 156 विचाराधीन बंदियों को यही समझाया गया। कानून सबके लिए बराबर है, और गरीब को भी इंसाफ मिले, यही विधिक सेवा का मकसद है बुधवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लगे इस शिविर में पीएलवी सूरजभान कछवाहा, मनीष कुमार और सुप्रिया जोशी ने बंदियों को जमानत, चालान और मुफ्त कानूनी मदद के अधिकार बताए।

यह शिविर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल-तिजारा जिला सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास के आदेशानुसार और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजीत कुड़ी के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। बंदियों को बताया विधिक सहायता का मकसद संविधान के मुताबिक सभी को न्याय देना और गरीब, दलित, कमजोर वर्ग को समान न्याय दिलाना है। जिनके पास कोर्ट जाने के पैसे नहीं, उन्हें मुफ्त या बहुत कम खर्च में कानूनी सहायता मिलती है। किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस को 90 दिनों के अंदर अदालत में चालान दायर करना जरूरी है। तय समय में चालान पेश न हो तो आरोपी को जमानत मिलने का सीधा फायदा मिल सकता है। जमानतीय अपराध में पुलिस को जमानत देने का अधिकार है। चालान दायर होने के बाद नियमित जमानत के लिए कोर्ट में जमानत बॉन्ड भरना पड़ता है। पुलिस किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती। हर वो नागरिक जिसकी सभी स्त्रोतों से सालाना आय 1 लाख रुपये तक है, वह नि:शुल्क विधिक सेवा का पात्र है। विशेष मामलों में विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष की मंजूरी से भी मुफ्त मदद मिल सकती है। इस मौके पर पीएलवी सूरजभान कछवाहा, सुप्रिया जोशी, जेल प्रहरी स्टाफ सहित 156 विचाराधीन बंदी मौजूद रहे। बंदियों ने अपने केस से जुड़े सवाल भी पूछे, जिनका टीम ने समाधान किया। पीएलवी सूरजभान ने कहा शिविर का मकसद बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना था ताकि वे न्याय प्रक्रिया में अपनी बात मजबूती से रख

आम सूचना दिनांक- 08.06.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार अटल पुत्र श्री राजेन्द्र अटल निवासी भगवान पुरा जयपुर द्वारा अजय पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी सी-174 जे.डी.ए. कॉलोनी पालडी मीणा आगरा रोड, जयपुर से प्लाट नंबर 22, स्कीम सिद्धी नगर योजना, धावास अजमेर रोड जयपुर क्षेत्रफल 136.1 वर्गगज क्रय कर रहे हैं, इस बाबत किसी भी दीगर व्यक्ति, बैंक, संस्था, सोसायटी, सरकारी कार्यालय या अर्द्धसरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो सात दिवस की अवधि में मय सबूत मुझ से सम्पर्क करें अवधि समाप्ती पर मेरे मुवक्किल के विरुद्ध आपत्ति अमान्य व शुन्य मानी जावेगी।

अब्दुल हनीफ खान/साहिल खान, एडवोकेट
कार्यालय-एस 2, सैकेण्ड फ्लोर डीलर्स प्लाजा, स्पेस सिनेमा के सामने झेटवाडा रोड, जयपुर, मो. 9929655751, 7062200272

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-1356 दिनांक-10.06.2026

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 80/83 (EWS), (एरिया 72.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री कल्याण चन्द गुप्ता पुत्र श्री नन्द किशोर गुप्ता को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1370 दिनांक 11.08.1989 को जारी किया गया। श्रीमती पुष्पा लखानी पत्नी श्री किशन चन्द लखानी के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 2251/1199 दिनांक 04.06.2010 के द्वारा किया गया। श्रीमती पुष्पा लखानी की मृत्यु दिनांक 11.12.2011 को हो जाने के कारण शपथ पत्र क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, घोषणा पत्र के आधार पर इनके पुत्र श्री हरीश कुमार लखानी पुत्र श्री किशन चन्द लखानी द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री हरीश कुमार लखानी पुत्र श्री किशन चन्द लखानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 161/2026

चूंकि प्रार्थी श्री दोलत राम गोयल निवासी वार्ड न० 4 शाहपुरा रोड़, नीम का थाना, जिला सीकर राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत पुष्पावती गोयल चौरिटेबल ट्रस्ट शाहपुरा रोड नीम का थाना जिला सीकर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन -पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 8/6/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी ... 11/8/26

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय), देवस्थान विभाग, जयपुर

पावटा में नारी चौपाल व नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम

पावटा में उपखंड स्तरीय नारी चौपाल-नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

पावटा, (निसं)। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता सामाजिक जागरूकता एवं जनकल्याण की भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उपखंड स्तरीय नारी चौपाल-नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को पावटा कस्बे के किला स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुआ, जहां उपखंड अधिकारी पावटा डॉ. साधना शर्मा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कृष्ण सिंह, डॉ देवेंद्र शर्मा, समाज सेवी रामदीन मीणा, भाजपा पावटा बालाजी मंडल अध्यक्ष विरेंद्र राठी, काशीराम लंबोरा, टिंकू प्रजापति, गिरिराज ओला सहित जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में महिलाओं ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं सर्वजन कल्याण की मंगल कामना की।कार्यक्रम में महिलाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी, स्वरोजगार एवं महिला उत्थान योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात पंचायत समिति सभागार में आयोजित नारी चौपाल में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चौपाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सहभागिता तथा महिला अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने महिलाओं को समाज की वास्तविक शक्ति बताते हुए उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने और आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में महिलाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।

नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत समाज एवं परिवार के निर्माण में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करते हुए उनके दायित्वों और उपलब्धियों की सराहना की गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण समाज एवं राष्ट्र के विकास का आधार है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत, दूसरा घायल

निवाई। गुंसी राहोली सडक़ मार्ग पर स्थित सजिया गांव में स्थित रेलवे फाटक के समीप मुख्य रोड पर मंगलवार की रात एक अज्ञात वाहन ने बाईक पर सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। जिससे एक युवक की मौत हो गई एवं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति कामां जिला-डीग (राजस्थान)
(E-mail : kums.kaman@rajasthan.gov.in)

कमांक : 166-190 दिनांक : 25.05.2026

आवंटन विज्ञप्ति

कृषि उपज मण्डी समिति कामां के मुख्य मंडी प्रांगण में निर्मित रिक्त 05 फुटकर दुकान मय बरामदा एवं 01 निर्मित ग्रामीण गोदाम का अचल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005 एवं समय-समय पर जारी संशोधित प्रावधानों में वर्णित पश्चात्वर्ती चरणों के प्रावधानो के तहत 99 वर्षीय लीज पर आवंटन किये जाने हेतु दिनांक 08.06.2026 से 10.07.2026 तक मण्डी समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आवंटन के सम्बन्ध में अधिक जानकारी व आवेदन प्रपत्र मण्डी समिति कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है।

आवंटन योग्य रिक्त फुटकर दुकानो का विवरण	सामान्य वर्ग	एस.सी.वर्ग	एस.टी.वर्ग	निःशक्तजन	जैविक उत्पाद विक्रय	कृषि स्नातक
मुख्य मण्डी प्रांगण कामां में अवस्थित 05 फुटकर दुकान मय बरामदा साईज 11'x20'6"	00	01	01	–	01	02

ग्रामीण गोदाम क्षमता का विवरण	क्षमता व साईज (फुट में)
मुख्य मण्डी प्रांगण कामां में अवस्थित 01 ग्रामीण गोदाम	250 ट्रिक टन क्षमता साईज

1. आवंटन की दर अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 एवं समय-समय पर संशोधित प्रावधानो के अनुरूप प्रभावी डी.एल.सी दर व निर्माण लागत के अनुसार होगी।
2. फुटकर दुकान का आवंटन खाद बीज दवाईयों वारदान, पशुआहार, कृषि साहित्य, कृषि यंत्र एवं अन्य संबंधित कृषि व्यवसाय से जुडी विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं यथा एग्री यथा एग्री क्लीनिंग (केवल कृषि स्नातकां हेतु 2 दुकाने) वायदा बाजार केन्द्र, बायों प्रोडक्ट शॉप, सर्टिफिकेशन, लेब टेस्टिंग लेबोटरी, गो सेवा आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के विक्रय केन्द्र, निर्यात सलाह केन्द्र सरस उत्पाद विपणन केन्द्र, कियोस्क, एसटीडी, पी.सी.ओ. एवं जैविक उत्पाद विक्रय आदि प्रयोजनो हेतु आवंटित की जावेगी।
3. ग्रामीण गोदाम का उपयोग कृषि जिंसों के भण्डारण हेतु किया जायेगा।
4. भण्डारण हेतु कृषकों द्वारा भण्डारण किए जाने पर भण्डारण की दर राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नही होगी।
5. ग्रामीण गोदाम के आवंटी को मण्डी समिति से भण्डारण का अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा।
6. आवंटन हेतु आवेदन पत्र 500/- रूपये कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति कामां में नगद जमा कराकर दिनांक 08.06.2026 से 09.07.2026 को सांय 5:00 बजे तक कार्यालय समय में मण्डी समिति कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र भरकर कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति कामां में अन्तिम दिनांक 10.07.2026 को दोपहर 02.00 बजे तक जमा करवाये जा सकते है।
7. फुटकर दुकान हेतु आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में 10000/- रूपये एवं ग्रामीण गोदाम हेतु धरोहर राशि 100000/-रूपये का डी.डी संलग्न करना अनिवार्य होगा जो सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कामां के नाम से देय हो। बिना धरोहर राशि आवेदन फार्म मान्य नहीं होगा।
8. जैविक उत्पाद विक्रय को सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किये गये अनुज्ञापत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी।
9. आवंटन के लिए वे व्यक्ति/फर्म पात्र होंगे जिन्हे मुख्य मण्डी प्रांगण/गौण मण्डी प्रांगण में कोई दुकान/भूखण्ड आवंटित नही है।
10. आवंटन हेतु उपलब्ध दुकान/भूखण्डों की संख्या व साईज में आवंटन प्रक्रिया के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर कमी/वृद्धि की जा सकती है। आवंटन करने/नही करनें का अधिकार मण्डी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
11. शेष शर्ते व ले आउट प्लान मंडी समिति कामां में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखी जा सकती है एवं विभागीय वेबसाईट www.agriculture.rajasthan.gov.in/Mandi पर देखी जा सकती है।

राज.संवाद/सी/26/4583 प्रशासक सचिव

अलवर कलेक्टर का योजनाओं को जागरूक रहकर लाभ उठाने का आव्हान

कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, एडीजे मोहन लाल सोनी, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अन्य अतिथिगणों ने विभिन्न योजनाओं में महिला लाभार्थियों को सांकेतिक चेक सौंपे

अलवर,(निसं)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को जिला स्तर पर प्रताप ऑडिटोरियम में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढावा देने, विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'नारी चौपाल-नारी शक्ति वंदन' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला, एडीजे मोहन लाल सोनी, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अन्य अतिथिगणों ने विभिन्न योजनाओं में महिला 10 लाभार्थियों को सांकेतिक चेक सौंपे। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने नारी चौपाल में उद्बोधन देते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं यथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं लाडो प्रोत्साहन योजना इत्यादि का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से आव्हान किया कि योजनाओं का पात्रतानुसार अधिकाधिक लाभ उठावें तथा अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुविधाओं में विस्तार हेतु मिनी सचिवालय में क्रैच की स्थापना, एसएचजी महिला समूह द्वारा संचालित कैंटीन की स्थापना एवं शहर में पांच से अधिक पिक टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। उन्होंने परिवार के संचालन में महिलाओं के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं का अधिक संवेदनशीलता से त्वरित समाधान किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में एडीजे मोहनलाल सोनी ने महिलाओं से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों यथा घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, पीओएसएच एक्ट, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम इत्यादि के बारे में की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नालसा एवं रालसा द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं जिसमें नारी संवाद एवं समाधान मंच, नि:शुल्क विधिक सहायता, नालसा संवाद योजना-2025 एवं पीड़ित प्रतिकर योजना इत्यादि के बारे में महिलाओं को अवगत कराया। साथ ही इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।

नम्बर मिलाइए
8890333139

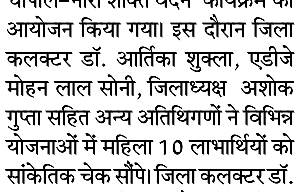

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय नगर पालिका पिलानी
जिला-झुंझुनू (राज.) फोन नं. 01596-242129
E-mail: pilani.jaipur@gmail.com

क्रमांक- न.पा.पि./2026-27/976 दिनांक- 10.06.2026

आपत्ति-विज्ञप्ति

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति उनके नाम के आगे अंकित पत्रावलिया 69-कृषि भूमि नियमन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन पालिका में प्राप्त हुये है अत जिस किसी को भी ऐतराज हो उक्त विज्ञप्ति प्रकाशत होने के 07 दिवस में मय सबूत प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद प्रस्तुत ऐतराज मान्य नहीं होंगे।

क्र. सं.	आवेदक मय/पिता/पति का नाम	क्षेत्रफल	भूमि का प्रयोजन	क्षेत्र	खसरा नं.	चतुर्थ सीमा			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	नरेन्द्र कुमार गहलावत पुत्र श्री रामकिशन गहलावत	363.43 वर्गगज	कृषि भूमि नियमन	बाईपास रोड के पास, पिलानी	1214/908	एन.के.मार्बल	अन्य का प्लाट	आम रास्ता	प्लाट नं. 31
2	नरेन्द्र कुमार गहलावत पुत्र श्री रामकिशन गहलावत	392.03 वर्गगज	कृषि भूमि नियमन	बाईपास रोड के पास, पिलानी	1214/908	प्लाट गोर्वधन	श्री कृष्ण कुमार	नरेन्द्र	बाईपास रोड
3	रामकिशन गहलावत पुत्र श्री रणसिंह	783.33 वर्गगज	कृषि भूमि नियमन	बाईपास रोड के पास, पिलानी	899	प्लाट नं. 05	शीतल दास	अन्य प्लाट	आम रास्त
4	प्रतिभा अहलावत पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार गहलावत	391.66 वर्गगज	कृषि भूमि नियमन	विद्याआश्रम स्कूल के पास पिलानी	899	रामकिशन	जितेन्द्र कस्वा	श्याम स्टील अन्य	आम रास्ता
5	बबूलाल सैनी पुत्र श्री रामजीला सैनी	217.17 वर्गगज	निर्माण स्वीकृति	वार्ड नं. 13 राजपूरा मोहल्ला पिलानी	-	सुभाष सैनी	आम रास्ता	द्वारका प्रसाद	मदनलाल
6	अन्तर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह	813.56 वर्गगज	69-क	वार्ड नं. 12 श्याम मंदिर के पिछले पिलानी	-	जोगियों की भूमि	आम रास्ता	आम रास्ता	छोटेलाल रूंगटा

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, पिलानी